**भारत सरकार**
**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या : 1992**
**उत्तर देने की तारीख : 28.07.2022**

**एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार**

**1992. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : विगत तीन वर्षों के दौरान एमएसएमई में औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ख) : क्या सरकार ने एमएसएमई में रोजगार को बढ़ावा देने और रोजगार की स्थितियों में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम राज्य मंत्री**
**(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)**

(क) : उद्‌योग आधार ज्ञापन पोर्टल और उद्‌यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यमों के साथ रोजगार में नियोजित व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:

| **उद्‌योग आधार पोर्टल** | |
|---|---|
| **वर्ष** | **रोजगार** |
| 2019-20 | 1,35,36,855 |
| 2020-21 ( 30.06.2020 तक) | 74,79,553 |
| **उद्‌यम पंजीकरण पोर्टल** | |
| 2020-21 (01.07.2020 से) | 2,78,53,653 |
| 2021-22 | 3,56,65,882 |

(ख) और (ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम (एमएसएमई) मंत्रालय रोजगार सृजन सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यमों (एमएसएमई) की संवृद्‌धि और विकास के उद्‌देश्य को लेकर विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में एमएसएमई चैंपियंस स्कीम (पूर्ववर्ती सीएलसीएस-टीयूएस), सूक्ष्म और लघु उद्‌यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्‌यम-कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) और आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) शामिल हैं।

****